

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 30 अगस्त, 2012

संख्या- 2/पद0-2(ग)-2/2012 का.- 10036/पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री राजेश कुमार राय, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 700/03) की सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

संख्या- 2/पद0-2(ग)-2/2012 का.- 10037/पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्रीमती शैल प्रभा कुजूर, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 751/03) की सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

संख्या- 2/पद0-2(ग)-2/2012 का.- 10038/आवासीय दण्डाधिकारी, बोकारो के पद पदस्थापित श्री मनोज जायसवाल, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 619/03, गृह जिला- राँची) की सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

संख्या- 2/पद0-2(ग)-2/2012 का.- 10039/पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री कामदेव रजक, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 779/03, गृह जिला- देवघर) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री रजक को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2,1974) की धारा-20 के तहत गोड्डा जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(सरोज श्रीवास्तव)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 2/पद0-2(ग)-2/2012 का.- 10039/ राँची, दिनांक- 30 अगस्त, 2012

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को राजकीय, गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 2/पद0-2(ग)-2/2012 का.- 10039/ राँची, दिनांक- 30 अगस्त, 2012

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी,/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।